रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-19122025-268659 CG-DL-E-19122025-268659

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 822]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 19, 2025/अग्रहायण 28 1947

No. 822]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 19, 2025/AGRAHAYANA 28, 1947

संचार मंत्रालय

(दूरसंचार विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 दिसम्बर, 2025

सा.का.नि. 908(अ).—केंद्रीय सरकार, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) की धारा 35 की उपधारा 2 के खंड (गक) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-3, खंड 4 में संख्या क-24/2/(2)/2023-एएंडपी, तारीख 20 अक्तूबर, 2023 द्वारा प्रकाशित, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति) विनियम, 2023 को उन बातों के सिवाय जिन्हें ऐसे निरसन से पूर्व किया गया हैं या करने का लोप किया गया हैं,निरसित करती है।

[फा. सं. 10-02/2022-पूर्नगठन]

देवेंद्र कुमार राय, संयुक्त सचिव

8548 GI/2025 (1)

MINISTRY OF COMMUNICATION

(Department of Telecommunications)

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th December, 2025

G.S.R. 908(E).— In exercise of the powers conferred by clause (ca) of sub-section 2 of section 35 of the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 (24 of 1997), the Central Government hereby rescinds the Telecom Regulatory Authority of India (Appointment of Officers and Employees) Regulations, 2023, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-III, Section 4, *vide* number A-24/2/(2)/2023-A&P, dated the 20th October, 2023, except as respects things done or omitted to be done before such rescission.

[F. No. 10-02/2022-Restg.]
DEVENDRA KUMAR RAI, Jt. Secy.